# कोविद -19 के कारण लॉकडाउन (बंदी) अवधी के दौरान किसानों और कृषि क्षेत्र के कृषि सलाह

भारत सरकार ने दिशानिर्देश\* जारी किये है जिससे कि कृषि और इससे संबन्धित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निर्धारित सावधानियों का पालन करते हुए जारी रह सके। किसानों की सुविधा के लिए इन्हें निष्कर्ष रूप में यहाँ सूचीबद्ध किया गया है

कृषि और संबन्धित गतिविधियाँ जिनको लॉक डाउन (बंदी) छूट प्राप्त है\*

- i. पश् चिकित्सालय
- ii. कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद में लगे अभिकरण, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी सम्मिलित है
- iii. 'मंडियाँ' जो कृषि उत्पाद विपणन समितियों द्वारा संचालित है या जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है
- iv. किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा खेती-बाड़ी की गतिविधियाँ
- v. कृषि मशीनों/यन्त्रों से संबन्धित यंत्र सुलभिकरण केंद्र (सी एच सी)
- vi. उर्वरक, पीड़कनाशी (पेस्टीसाइड्स) और बीज का विनिर्माण/उत्पादन और पैकेजिंग करने वाली इकाइयाँ
- vii. फसल कटाई और बुवाई से संबन्धित मशीनों जैसे कि कम्बाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि और बागवानी औज़ार आदि का अन्तः और अंतरा राज्य आवागमन
- viii. कृषि मशीनों/उपकरणो/औजारों, इनके अतिरिक्त पुर्जों (इनकी आपूर्ति शृंखला भी सम्मिलित) और मरम्मत की दुकाने खुली रहेगी
- ix. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक मरम्मत की दुकानें, ईंधन/पेट्रोल पम्प पर स्थित को प्राथमिकता/वरीयता
- x. चाय उद्योग, जिसमें बागान भी सम्मिलित अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ
- \* बिन्दु (i से vii) गृह मंत्रालय, भारत सरकार देखे आदेश सं 40-3/2020-DM-I(A) दिनाँक 24, 25 and 27 मार्च 2020, उपधारा 2,4, 5 के अतिरिक्त एवं 6 के अपवाद के दिशा-निर्देश अनुसार; और बिन्दु (viii से x) एमएचए के आदेश सं 40-3/2020-DM-I(A) दिनाँक 24.03.2020 के चौथे परिशिष्ठ अनुसार जो की समेकित दिशानिर्देशों के संलग्नक के रूप में था

यह छूटें कृषि और किसानी से जुड़ी गतिविधियों को अबाध रूप में जारी रखने में मदद करेगी ताकि अनिवार्य आपूर्ति सुनिश्चित हो और किसानों को लॉकडाउन अविध में किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

भारत सरकार के नीति निर्देशों के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों/ राज्य सरकार के विभागों ने कृषि और इससे संबन्धित क्षेत्रों की गतिविधियों को जारी रखने के लिए अमल में लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है

# किसानों के लिए सलाह

# फसलों की कटाई और मड़ाई

कोविद-19 के फैलने के खतरे के बीच, रबी फसलों के पकाव का समय आ रहा है। फसल कटाई और उत्पाद को संभालना जिसमें शामिल है इसको विपणन के लिए ले जाना इन्हें टाला नहीं जा सकता क्योंकि कृषि कार्य समयबद्ध होते है। परंतु, किसानों को बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए सावधानियों और सुरक्षा उपायों को अपनाना पड़ेगा।

साधारण उपायों में सम्मिलित है सामाजिक दूरी, हाथों को साबुन से धोकर अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, चेहरे पर मास्क पहनना, सुरक्षा परिधान और औजारों और मशीनों की सफाई। श्रमिकों को कृषि कार्यों की पूरी प्रक्रियाओं के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए।

- उत्तर राज्यों में गेहूँ की कटाई नजदीक आ रही है और कम्बाइन हार्वेस्टर के राज्यों के अन्दर और एक से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमित दी गई है। मरम्म, रख-रखाव और कटाई संबंधी कार्यों में लगे सभी श्रमिकों के सावधानियों और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सरसों रबी दूसरी महत्वपूर्ण फसल है, हाथ से कटाई चल रही है और जहां भी फसल कट गई है वहाँ मड़ाई बाकी है।
- मसूर, मक्का, और मिर्ची की कटाई चल रही है और चना की जल्दी शुरू होने वाली है।
- गन्ने की कटाई अपने चरम पर है और उत्तर भारत में हाथ से बुवाई का भी समय है।
- जो भी फसलों, फलों, सब्जियों, अंडो और मछली की कटाई में लगे है उनके द्वारा, कृषि कार्यों के दौरान और बाद
  में, व्यक्तिगत स्वच्छता उपाय और सामाजिक दूरी को अपना जाना चाहिए।
- जहां कटाई/ चुनाई कर कार्य हाथों से हो रहा हो, वहाँ कार्य को 4-5 फीट चौड़ाई की पट्टियों में किया जाना चाहिए और एक पट्टी में एक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। इससे कार्यरत श्रमिकों में समुचित दूरी सुनिश्चित होगी।
- कार्यरत सभी व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए और समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- आराम के दौरान, खाना खाते समय, उत्पाद का संग्रहण केन्द्र पर परिवहन के समय, उतारते/चढ़त समय 3-4 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखे।
- जहां तक संभव हो कृषि कार्य समय अंतराल से करे और एक ही दिन में बहुत सारे लोगों को काम में लगाने से बचे।
- जहाँ तक संभव हों परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाए और आवश्यक पूछताछ के बाद ही लगाए तािक कृषि
  कार्यों के दौरान किसी भी संदिग्ध या विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके।
- जहाँ भी व्यवहार्य हो वहाँ मशीनों से कटाई को प्राथमिकता देवें। मशीन के साथ केवल जरूरी संख्या में आवश्यक व्यक्तियों को ही अनुमति दे।
- सभी मशीनों को प्रवेश द्वार और नियमित अंतराल पर सेनीटाइज़ (अच्छी तरह से साफ सफाई) करते रहे। सभी परिवहन वाहनों, जूट बोरों या अन्य पैकेजिंग सामान को भी सेनीटाइज़ किया जाना चाहिए।
- उत्पाद का संग्रहण 3-4 फीट की दूरी पर छोटी ढ़ेरियों में किया जा सकता है और खेत स्तर के प्रसंस्करण को प्रति
  ढ़ेरी 1-2 व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जिससे भीड़ से बचा जा सके।
- मक्का और मूँगफली के लिए उपयोग में लाये जाने वाले थ्रेशर की उचित स्वच्छता और सफाई राखी जानी चाहिए, विशेषकर यदि मशीनें कृषक समूह द्वारा सहभागिता/साझेदारी में उपयोग लाई जा रही हो। मशीनों के उन भागों की प्रचूरता से साबुन के पानी से धुलाई करने की सलाह दी जाती है जिन्हें उपयोग के समय बार-बार छूआ जाता है।

# फसल कटाई उपरान्त, भंडारण और कृषि उत्पाद का विपणन

 जब सुखाने, मड़ाई, ओसाईं, सफाई, श्रेणीकरण, छंटाई और पैकेजिंग आदि कार्य खेत पर करे तब, मुँह पर सुरक्षा मास्क जरूर पहने इससे धूल मिट्टी के कणों और ऐरोसोल के खिलाफ सुरक्षा मिल सकती है जिससे साँस संबंधी परेशानियों से बचा जा सके।

- भंडारण से पूर्व अनाजों, दलहनों और मोटे अनाजों को खेत/घर पर पूरी तरह से सुखाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और गत वर्ष उपयोग में लाये जूट बोरों का फिर से उपयोग करने से बचना चाहिए तािक कीड़ों के प्रकोप से बचाव हों। जूट के बोरों का 5% नीम के घोल में डूबाने और सुखाने के बाद प्रयोग करें।
- उत्पाद को खेत पर या नजिदकी शीत भंडार गृह, गोदाम, आदि में भंडारण करें, यिद बेहतर भाव एक लिए जरूरी हो तो, भंडारण के लिए जूट बोरों का उपयोग पर्याप्त सावधानी के साथ करना चाहिए जो कि किसानों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाए गए है।
- कृषि उत्पाद को लिए चढ़ाने और परिवहन करने तथा मंडी में बेचान के लिए नीलामी में भाग लेते समय व्यक्तिगत सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करने चाहिए।
- बीज उत्पादक किसानों को आवश्यक जरूरी कागजात के साथ बीज कंपनियों को बीज परिवहन करने की अनुमित होगी और भुगतान प्राप्ति के समय सावधानी अपनानी होगी।
- बीज प्रसंस्करण/पैकेजिंग संयंत्र और बीज उत्पादक राज्यों से बीजों का फसल उगाने वाले राज्यों (दक्षिण से उत्तर)
  तक परिवहन अत्यंत आवश्यक है ताकि खरीफ फसलों के लिए बीज उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- सिब्जियों जैसे टमाटर, फूलगोभी, हरी पत्तेदार सिब्जियों, कद्दूवर्गीय और अन्य सिब्जियों के खेत से सीधा बेचान
  (विपणन)/ आपूर्ति करने में सावधानी बरती जानी चािहए।

## खेत में खड़ी फसलें

- ज़्यादातर गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में तापमान अभी भी दीर्घ-अविध औसत तापमान से नीचे चल रहा है जिससे गेहूं की कटाई में कम से कम 10-15 दिनों की देरी होगी यानि 10 अप्रैल से आगे तक, इसलिए, किसान गेहूं की कटाई 20 अप्रैल तक कर सकते है उपज में बिना किसी महत्वपूर्ण नुकसान के, इससे उनको पर्याप्त समय मिल जाएगा, खरीद के लिए सहायक उपायों का प्रबंध करने और तिथि घोषित करने में।
- दक्षिणी राज्यों में धान की फसल दाना भरने की अवस्था में है और ये ग्रीवा झुलसा के प्रकोप से बड़े स्तर पर प्रभावित होती है, जब अनुमोदित फफूँदनाशक का संविदा पर छिड़कने वाले/ किसान छिड़काव करे तब पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए।
- धान की कटाई की अवस्था में यदि कहीं पर बेमौसम बारिश हो जाए तो दानों को अंकुरित होने से बचाने के लिए
  5% नमक के घोल का छिड़काव करें।
- बागवानी फसलों में फलन अवस्था है, जैसे कि आम, पौषक तत्व छिड़काव व पौध संरक्षण जैसी कृषि क्रियाएँ करते
  समय आदानों को संभालने, मिलाने, पहुंचाने और उपकरणों को धोने आदि में सावधानी बरती जानी चाहिए।
- धान के बाद में ग्रीस्मकालीन दलहनों में, सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन पूरे सुरक्षा उपायों के साथ किया जाना चाहिए जिससे पीला मौजेक विषाणु के प्रकोप से बचा जा सके।

#### Agro-advisory for farmers and farming sector during lockdown period due to COVID-19

Government of India has brought out guidelines\* so that important agricultural and allied sector activities continue with the prescribed precautions in place. For the benefits of the farmers, these are extracted and listed here.

### Agricultural and allied activities exempted from lockdown\*

- i. Veterinary hospitals
- ii. Agencies engaged in procurement of agriculture products, including MSP operations
- iii. 'Mandis' operated by the Agriculture Produce Market Committee or as notified by the State Government
- iv. Farming operations by farmers and farm workers in the field
- v. Custom hiring centres (CHC) related to farm machinery
- vi. Manufacturing and packaging units of Fertilizers, Pesticides and Seeds
- vii. Intra and inter-state movement of harvesting and sowing related machines like combined harvester and other agriculture/ horticulture implements
- viii. Shops of agriculture machinery, its spare parts (including its supply chain) and repairs to remain open
- ix. Shops for truck repairs on highways, preferably at fuel pumps
- x. Tea Industry, including plantation with maximum of 50% workers

\*points (i to vii) as per guidelines of Ministry of Home Affairs, GoI vide Order No.40-3/2020-DM-I(A) dated 24<sup>th</sup>, 25<sup>th</sup> and 27<sup>th</sup> March 2020, additions to clauses 2, 4, 5 and 6 in exceptions; and points (viii to x) as per 4<sup>th</sup> addendum to the consolidated guidelines annexed to the MHA Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 24.03.2020.

These exemptions will facilitate unhindered activities related to agriculture and farming so as to ensure essential supplies and farmers do not face any difficulty during the lockdown.

Based on the policy directions of GoI, various ministries/ departments of State Governments issued implementation guidelines to facilitate continuation of activities related to agriculture and allied sectors.

### **Advisory for farmers**

### Harvesting & threshing of crops

Amidst the threat of COVID-19 spread, the rabi crops are approaching maturity. Harvesting and handling of the produce including its movement to the market are inevitable as the agricultural operations are time bound. However, famers are to follow precautions and safety measures to be taken to prevent the disease spread. Simple measures include social distancing, maintaining personal hygiene by washing of hands with soap, wearing of face mask, protective clothing and cleaning of implements and machinery. Workers to follow safety measures and social distancing at each and every step in the entire process of field operations.

- Harvesting of wheat is approaching in several northern states through combine harvesters and their movement within state and between states has been permitted. Precautions and safety measures of workers engaged in repair, maintenance and harvesting operation is to be ensured.
- Mustard is the second important rabi crop, manual harvesting is in progress and threshing is due wherever already harvested
- Harvesting of lentil, maize and chillies is in progress and gram is fast approaching.
- Sugarcane harvesting is at peak and is also time for manual planting in the north
- Measures of personal hygiene and social distancing to be followed by those engaged in harvesting of all field crops, fruits, vegetables, eggs and fishes before, during and after executing the field operation.
- In case of manual field operations of harvesting/ picking, accomplish the operation in 4-5 feet spaced strips assigning one strip to one person. This will ensure adequate spacing between the engaged labour.
- All the persons engaged should use masks and ensure hand washing with shop at reasonable intervals.
- Maintain safe distance of 3-4 feet during rest, taking of meals, transfer of produce at collection point, loading/unloading.
- Stagger the field operations wherever possible and avoid engaging greater number of persons on the same day.
- Engage only familiar persons to the extent possible and after reasonable enquiry as to avoid the entry of any suspect or likely carrier during field activity.
- Prefer mechanized operations over the manual wherever feasible. Only the essential numbers of persons should be allowed to accompany the machine.
- All machines should be sanitized at the entry point and at regular intervals. All transport vehicles, gunny bags or other packaging material should also be sanitized
- The collection of the produce may be done in small heaps spaced at 3-4 feet and field level processing should be assigned to 1-2 persons/heap to avoid crowding.
- Proper sanitation and cleanliness of threshers for harvested maize and groundnut is to be maintained especially when machines are shared and used by farmer groups. Copious washing of machine parts frequently touched with soap is advised.

### Post-harvest, storage and Marketing of farm produce

- While performing drying, threshing, winnowing, cleaning, grading, sorting and packaging operations at the farm level, wearing of protective face mask may help against aerosols and dust particles to prevent respiratory difficulties.
- Ensure proper drying prior to storage of harvested grains, millets, pulses at farm/home and do not use reuse previous seasons jute bags to prevent pest infestation. Use treated and dried gunnies after soaking in 5% neem solution.
- Adequate pre-cautions to be taken for storage of produce at the farm in jute bags that are made available in sufficient numbers to farmers or in nearby cold storages/ godowns / warehouses, if needed for better price realization
- Adequate personal safety measures to be taken for loading and transporting of farm produce and while participating in sale at market yards/ auction platforms
- Seed producer farmers are permitted to transport to seed companies with supporting documents and to follow precautions while receiving payments
- Seed processing/packaging plants and transportation of seed from seed producing states to growing states (South to north) is essential to make available seed for ensuing *kharif* crops eg., SSG seed for green fodder for sowing in April in north comes from southern states
- Precautions to be followed for direct marketing/ supply of vegetables such as tomato,
  cauliflower, green leafy vegetables, cucumbers and other cucurbits from farms

### Standing field crops

- The temperature in most of the wheat growing areas is still below long-term average and likely to delay wheat harvesting by at least 10-15 days beyond April 10, therefore, farmers can delay wheat harvesting till April 20 without incurring any significant loss, which gives enough time to manage logistics for procurement and announcement of dates
- Rabi Paddy in grain filling stage in southern states is widely affected due to neck blast incidence, adequate pre-cautions to be taken while spraying of recommended fungicide by contract sprayers/ farmers
- In case of any unseasonal rain at harvesting stage in paddy, spray 5% salt solution to prevent seed germination
- In horticultural crops at fruiting stage such as mango, while carrying out field operations related to nutrient sprays and crop protection adequate precautions in handling of inputs, mixing, delivery and washing of equipment is to be undertaken
- In summer pulses in rice fallows, whitefly management with proper safety measures may be taken up to prevent yellow mosaic virus incidence